[6/8/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 1060]

होने के तीस दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा ।

(3) धारा 109 के अधीन प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर या किसी अन्य स्रोत से ऐसे अधिकार अर्जन की प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार पंद्रह दिन के भीतर,–

(क) अपने न्यायालय में मामला पंजीकृत करेगा ;

(ख) हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को, जो कि विहित किए जाएं, ऐसे प्ररूप में तथा विहित रीति में नोटिस जारी करेगा ; और

(ग) अपने कार्यालय के सूचना पटल पर प्रस्तावित नामांतरण से संबंधित नोटिस चस्पा करेगा तथा तथा उसे संबंधित ग्राम या सेक्टर में विहित रीति में प्रकाशित करेगा ;

(4) तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, तथा ऐसी और जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, नामांतरण से संबंधित आदेश मामला पंजीकृत होने की तारीख से अविवादित मामले की दशा में तीस दिवस में एवं विवादित मामले की दशा में पांच मास में पारित करेगा तथा यथास्थिति, ग्राम के खसरे या सेक्टर के खसरे में तथा ऐसे अन्य भू–अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करेगा ।

(5) तहसीलदार उपधारा (4) के अधीन पारित किये गये आदेश तथा अद्यतन भू–अभिलेखों की प्रमाणित प्रति विहित रीति में तीस दिन के भीतर पक्षकारों निःशुल्क प्रदाय करेगा और उसके पश्चात् मामले को बंद करेगा :

परंतु यदि अपेक्षित प्रतियां विनिर्दिष्ट कलावधि के भीतर प्रदाय नही की जाती हैं तो तहसीलदार कारण अभिलिखित करेगा तथा उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट देगा।

within thirty days of the receipt thereof by him.

(3) On receipt of intimation under section 109 or on receipt of intimation of such acquisition of right from any other source, the Tahsildar shall within fifteen days,-

(a) register the case in his court;

(b) issue a notice to all persons interested and to such other persons and authorities as may be prescribed, in such Form and manner as may be prescribed; and

(c) display a notice relating to the proposed mutation on the notice board of his office, and publish it in the concerned village or sector in such manner as may be prescribed;

(4) The Tahsildar shall, after affording reasonable opportunity of being heard to the persons interested and after making such further enquiry as he may deem necessary, pass orders relating to mutation within thirty days of registration of case, in case of undisputed matter, and within five months, in case of disputed matter, and make necessary entry in the village khasra or sector khasra, as the case may be, and in other land records.

(5) The Tahsildar shall supply a certified copy of the order passed under sub-section (4) and updated land records free of cost to the parties within thirty days, in the manner prescribed and only thereafter close the case:

Provided that if the required copies are not supplied within the period specified, the Tahsildar shall record the reasons and report to the Sub-Divisional Officer.

परिशिष्ट 'अ'

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 मार्च 2021—फाल्गुन 19, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2021

क्र. एफ 2-11-2021-61-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-14.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक-2-13-2012-61-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-04, दिनांक 10 अप्रैल, 2013 में राजस्व विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाओं को अधिसूचित किया गया है.

2. राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.13 ''भूमि का सीमांकन करना'' की पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक-2-13-2012-61-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-04, दिनांक 10 अप्रैल, 2013 के कॉलम 4 ''सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा'' में दर्ज 30 कार्य दिवस को संशोधित करते हुए 45 कार्य दिवस किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215] भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 मई 2014—ज्येष्ठ 5, शक 1936

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2014

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-04.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए, राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती हैं, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत्
राजस्व विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.15	अविवादित बंटवारा करना.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	90 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग